न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-261/2018
CIS-178/2018

22/07/2022	आवेदक तथा प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। पुकार पर प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र U/o-22 Rule-3, R/W Section-151 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते है कि इस वाद के वादी की मृत्यु हो गई है। अत: वाद पत्र से मृत वादी का नाम विलोपित कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद–पत्र में वादी के क्रम में जोड़ने का आदेश दिया जाए। वादी वाद को संचालित कर पुन: निवेदन करते है कि प्रतिवादी की ओर से स्वत्व वाद सं०–32/2014 में अनापत्ति अंकित किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदन–पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण–पत्र भी दाखिल किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से अवगत कराते है कि वादी के मृत्यु से संबंधित कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। परंतु आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में गलत जानकारी दी गई है। आवेदक पत्र शपथ–युक्त है। अत: आवेदक का प्रतिस्थापन आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: आवेदन–पत्र U/o-22 Rule-3 R/W Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद–पत्र से वादी का नाम विलोपित कर उनके कानूनी वारिशानों का नाम वाद–पत्र में जोड़े। वाद दिनांक 14.9.22 वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी